

कार्यालय जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण-पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या-....., दिनांक-.....

प्रमाणित किया जाता है कि रोहतास जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-120 के बिक्रमगंज डुमरांव (201.665-245.665 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु रैखिक परियोजना अन्तर्गत कुल-17.605 कि०मी में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 18.87 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रोहतास, वन प्रमण्डल, सासाराम के पत्रांक-1838, दिनांक-10.08.2021 के द्वारा FRA 2006 का प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान-

तिथि-



ह०/-

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर
एवं मुहर

ज्ञापांक.....1333...../सा०, दिनांक.....62/08/22.....

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को उनके पत्रांक-1838, दिनांक 10.08.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।



86
10/8/22
जिला पदाधिकारी
रोहतास, सासाराम

**कार्यालय, जिला पदाधिकारी, बक्सर के तहत रैखिक परियोजना
निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र**

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या 03-0092 दिनांक 07/01/23

प्रमाणित किया जाता है कि बक्सर जिले में प्रयोक्ता एजेंसी कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, गया द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-120 के कि०मी० 201.665 (विक्रमगंज) से कि०मी० 245.665 (डुमरौव) तक चौड़ीकरण एवं मजबूती कार्य रैखिक परियोजना निर्माण स्थान बक्सर जिलान्तर्गत 20.935 कि०मी० तक कुल 20.935 कि०मी० में पड़ने वाले पथ / नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 22.14 हे० (बक्सर जिलान्तर्गत) रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमण्डल, पदाधिकारी भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा के पत्रांक 69 दिनांक 09.01.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है। वन प्रमण्डल, पदाधिकारी भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा के अनुशंसित आवेदन पर अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरौव के पत्रांक 4354/रा० दिनांक 10.11.2022 द्वारा एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जॉचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान - बक्सर
तिथि - 06.01.2023

जिला पदाधिकारी का
जिलहस्ताक्षर
बक्सर

OR

Certified that forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "Forest" less than 75 year prior to the 31th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011.

Place - Buxar
Date - 06.01.23

District Magistrate
जिला पदाधिकारी
बक्सर